

संदर्भ: आईआरडीएआई/आईआईडी/सीआईआर/विविध/86/4/2023
Ref: IRDAI/IID/CIR/MISC/86/4/2023

दिनांक: 19 अप्रैल 2023
Date: 19th April 2023

परिपत्र
CIRCULAR

प्रति / To,
जीवन, साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ता
Life, General and Health Insurers

विषय: i) 'सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी वितरण प्रणालियाँ (गैरकानूनी गतिविधियों का निषेध) अधिनियम, 2005 (डब्ल्यूएमडी अधिनियम)' की धारा 12क के कार्यान्वयन के लिए प्रक्रिया

Re: i) Procedure for Implementation of Section 12A of 'The Weapons of Mass Destruction and their Delivery Systems (Prohibition of Unlawful Activities) Act, 2005 (WMD Act)

ii) डब्ल्यूएमडी अधिनियम की धारा 12क के कार्यान्वयन के लिए नोडल अधिकारी की नियुक्ति
Appointment of nodal officer for Implementation of Section 12A of WMD Act
iii) विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (यूएपीए) की धारा 51क के कार्यान्वयन के लिए नोडल अधिकारी का परिवर्तन

Change of nodal officer for implementation of Section 51A of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (UAPA)

यह 'सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी वितरण प्रणालियाँ (गैरकानूनी गतिविधियों का निषेध) अधिनियम, 2005' (डब्ल्यूएमडी अधिनियम) की धारा 12क के उपबंधों के संदर्भ में है।

This has reference to the provisions of Section 12A of 'The Weapons of Mass Destruction and their Delivery Systems (Prohibition of Unlawful Activities) Act, 2005 (WMD Act).

2. उक्त डब्ल्यूएमडी अधिनियम की धारा 12क के उपबंधों के शीघ्र और प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए, राजस्व विभाग ने आदेश एफ. सं. पी-12011/14/2022-ईएस कक्ष-डीओआर दिनांक 30 जनवरी 2023 के द्वारा इसके अंतर्गत संदर्भित उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए प्रक्रिया विनिर्दिष्ट की है।

In order to ensure expeditious and effective implementation of the provisions of Section 12A of the WMD Act, the Department of Revenue specified the procedure for implementation of the within referred provisions vide order F. No. P-12011/14/2022-ES Cell-DOR dated 30th January 2023.

3. बीमा क्षेत्र के लिए लागू उपबंधों से संबंधित आदेश का उद्धरण अनुबंध I में संलग्न है।

The extract of the order relating to the provisions applicable to the insurance sector are enclosed as Annexure I.

4. सभी बीमाकर्ता ध्यान दें और उपर्युक्त आदेश के उपबंधों का अनुपालन करें।
All insurers shall take note and comply with the provisions of the above mentioned order.

5. बीमाकर्ता नामोदिष्ट व्यक्तियों/ संस्थाओं की सूची के लिए एफआईयू-इंडिया पोर्टल की नियमित रूप से जाँच भी करें।

Insurers shall also regularly check FIU-India portal for list of designated individuals/entities.

6. इसके अलावा, संदर्भ आईआरडीएआई/आईआईडी/जीडीएल/विविध/160/8/2022 दिनांक 1 अगस्त 2022 के द्वारा जारी किये गये धनशोधन निवारण/आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला करने (एएमएल/सीएफटी), 2022 पर मास्टर दिशानिर्देशों के पैरा 16 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। बीमा क्षेत्र में डब्ल्यूएमडी अधिनियम की धारा 12क तथा विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 51क के उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित अधिकारी को नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है।

Further, attention is drawn to para 16 of Master Guidelines on Anti-Money Laundering/Counter Financing of Terrorism (AML/CFT), 2022 issued vide ref. IRDAI/IID/GDL/MISC/160/8/2022 dated 1st Aug 2022. The following officer is appointed as nodal officer for implementation of the provisions of Section 12 A of WMD Act and Section 51A of Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 in the insurance sector.

सुश्री निमिषा श्रीवास्तव / Ms. Nimisha Srivastava,
महाप्रबंधक, बीमा समावेशन और विकास विभाग,
General Manager, Insurance Inclusion and Development Department,
आईआरडीएआई, सर्वे सं. 115/1, फाइनॅशियल डिस्ट्रिक्ट,
IRDAI, Survey no. 115/1, Financial District,
नानकरामगूडा, गच्चीबाउली / Nanakramguda, Gachibowli
हैदराबाद / Hyderabad-500032,
ई-मेल / Email – nimisha@irdai.gov.in ,
टेलीफोन / Telephone – 040 2020 4000

(डीवीएस रमेश / DVS Ramesh)

मुख्य महाप्रबंधक(बीमा समावेशन और विकास विभाग)

Chief General Manager (Insurance Inclusion and Development Dept.)

डब्ल्यूएमडी अधिनियम, 2005 की धारा 12 के कार्यान्वयन के लिए प्रक्रिया संबंधी आदेश के उद्धरण

सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी वितरण प्रणाली (गैरकानूनी गतिविधियों का निषेध) अधिनियम, 2005 [इस परिपत्र में इसके बाद “अधिनियम” के रूप में उल्लिखित] की धारा 12क का पाठ निम्नानुसार है:-

“12क. (1) कोई भी व्यक्ति ऐसे किसी क्रियाकलाप का वित्तपोषण नहीं करेगा जो सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी वितरण प्रणालियों के संबंध में इस अधिनियम, अथवा संयुक्त राष्ट्र (सुरक्षा परिषद) अधिनियम, 1947 अथवा फिलहाल प्रचलन में स्थित किसी अन्य संगत अधिनियम, अथवा किसी ऐसे अधिनियम के अधीन जारी किये गये आदेश के द्वारा निषिद्ध है।

(2) किसी भी व्यक्ति के द्वारा ऐसे किसी क्रियाकलाप के वित्तपोषण के निवारण के लिए जो सामूहिक विनाश के हथियारों और उनकी वितरण प्रणालियों के संबंध में इस अधिनियम, अथवा संयुक्त राष्ट्र (सुरक्षा परिषद) अधिनियम, 1947 अथवा फिलहाल प्रचलन में स्थित किसी अन्य संगत अधिनियम, अथवा ऐसे किसी अधिनियम के अधीन जारी किये गये आदेश के द्वारा निषिद्ध है, केन्द्र सरकार के पास निम्नलिखित के लिए शक्ति होगी:

क) ऐसी निधियों अथवा अन्य वित्तीय आस्तियों अथवा आर्थिक संसाधनों पर रोक लगाना, जब्त करना अथवा कुर्क करना जो –

i) ऐसे व्यक्ति के द्वारा पूर्ण रूप से अथवा संयुक्त रूप से, प्रत्यक्ष रूप से अथवा अप्रत्यक्ष रूप से, स्वाधिकृत अथवा नियंत्रित हों; अथवा

ii) ऐसे व्यक्ति के द्वारा अथवा उसकी ओर से अथवा उसके निदेश पर धारित हों; अथवा
iii) ऐसे व्यक्ति के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से अथवा अप्रत्यक्ष रूप से स्वाधिकृत अथवा नियंत्रित निधियों अथवा अन्य आस्तियों से व्युत्पन्न अथवा उत्पन्न हों;

ख) ऐसे किसी क्रियाकलाप से संबंधित व्यक्तियों के लाभ के लिए निधियाँ, वित्तीय आस्तियाँ अथवा आर्थिक संसाधन अथवा संबंधित उपलब्ध सेवाएँ निर्मित करने से किसी भी व्यक्ति को रोकना, जो सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी वितरण प्रणालियों के संबंध में इस अधिनियम, अथवा संयुक्त राष्ट्र (सुरक्षा परिषद) अधिनियम, 1947 अथवा फिलहाल प्रचलन में स्थित किसी अन्य संगत अधिनियम, अथवा किसी ऐसे अधिनियम के अधीन जारी किये गये किसी आदेश के द्वारा निषिद्ध है।

(3) केन्द्र सरकार इस धारा के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग ऐसे किसी भी प्राधिकरण के माध्यम से कर सकती है जिसे धारा 7 की उप-धारा (1) के अंतर्गत शक्ति दी गई है।”

अधिनियम की धारा 12क के उपबंधों का शीघ्र और प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रिया की रूपरेखा नीचे दी गई है

1. धारा 12क के अधीन नोडल अधिकारियों की नियुक्ति और संसूचना का विवरण:

- 1.1 अधिनियम की धारा 7(1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार निदेशक, एफआईयू-इंडिया, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय को अधिनियम की धारा 12क के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। निदेशक, एफआईयू-

इंडिया इसके द्वारा इस आदेश के प्रयोजन के लिए केन्द्रीय नोडल अधिकारी (सीएनओ) के रूप में उल्लिखित किया जाएगा। [टेलीफोन संख्या: 011-23314458, 011- 23314435, 011-23314459 (फैक्स), ई-मेल पता: dir@fiuindia.gov.in]

- 1.2 इस आदेश के अंतर्गत विनियमनकर्ता से वही अर्थ अभिप्रेत है जैसा कि धनशोधन निवारण (अभिलेखों का अनुरक्षण) नियम, 2005 के नियम 2(एफए) में परिभाषित है। रिपोर्टिंग संस्था (आरई) से वही अर्थ अभिप्रेत होगा जैसा कि धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 2(1) (डब्ल्यूए) में परिभाषित है। डीएनएफपीबीएस धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 2(1)(एसए) में परिभाषित रूप में है।
- 1.3 गृह मंत्रालय (एमएचए) के विनियमनकर्ता और विदेशी प्रभाग, अधिनियम की धारा 12क के उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए नोडल अधिकारी को अधिसूचित करेगा। विनियमनकर्ता यूएपीए की धारा 51क के उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए नियुक्त नोडल अधिकारी को अधिनियम की धारा 12क के कार्यान्वयन के लिए एक राज्य नोडल अधिकारी को अधिसूचित करेंगे। राज्य/संघराज्य क्षेत्र यूएपीए की धारा 51क के उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए नियुक्त राज्य नोडल अधिकारी को अधिनियम की धारा 12क के कार्यान्वयन के लिए नोडल अधिकारी के रूप में भी अधिसूचित कर सकता है। सभी राज्य और संघराज्य क्षेत्र अधिनियम की धारा 12क के कार्यान्वयन के लिए एक राज्य नोडल अधिकारी को अधिसूचित करेंगे। राज्य/संघराज्य क्षेत्र यूएपीए की धारा 51क के उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए नियुक्त राज्य नोडल अधिकारी को अधिनियम की धारा 12क के कार्यान्वयन के लिए नोडल अधिकारी के रूप में भी अधिसूचित कर सकता है।
- 1.4 सीएनओ सभी नोडल अधिकारियों की एक अद्यतन सूची रखेगा तथा अद्यतन की गई सूची को सभी नोडल अधिकारियों के साथ आवधिक तौर पर साझा करेगा। सीएनओ सभी नोडल अधिकारियों की अद्यतन सूची सभी आरई को अग्रेषित करेगा।

2. नामोदिष्ट व्यक्तियों / संस्थाओं की सूचियों का संसूचन:

- 2.1 विदेश मंत्रालय नामोदिष्ट व्यक्तियों और संस्थाओं की सूची (इस परिपत्र में इसके बाद 'नामोदिष्ट सूची' के रूप में उल्लिखित) में किये गये परिवर्तन अविलंब इलेक्ट्रानिक रूप से सीएनओ और नोडल अधिकारियों को धारा 12क (1) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट रूप में सूचित करेगा।
 - 2.1.1 इसके अलावा, सीएनओ एफआईयू-इंडिया के पोर्टल पर नामोदिष्ट सूची का अनुरक्षण करेगा। ऊपर पैरा 2.1 के अनुसार जब भी इसे अद्यतन किया जाएगा, तब इसे सीएनओ द्वारा अविलंब अद्यतन किया जाएगा। इसे सभी नोडल अधिकारियों, राज्य नोडल अधिकारियों, और अचल संपत्तियों के पंजीकरण का कार्य निष्पादित करनेवाले रजिस्ट्रारों को सीधे अथवा राज्य नोडल अधिकारियों के माध्यम से, अविलंब उपलब्ध कराया जाएगा।
 - 2.1.2 विदेश मंत्रालय धारा 12क के अंतर्गत निषिद्ध क्रियाकलाप के वित्तपोषण के निषेध/निवारण से संबंधित अन्य सूचना का साझा भी (मामले में संबंधित कारकों के प्रारंभिक आकलन के बाद) सीएनओ और संबंधित अन्य संस्थाओं के साथ सत्यापन और उपयुक्त कार्रवाई प्रारंभ करने के लिए कर सकता है।
 - 2.1.3 विनियमनकर्ता अपने आरई को अद्यतन की गई नामोदिष्ट सूची अविलंब उपलब्ध कराएँगे। आरईएस उक्त नामोदिष्ट सूची अनुरक्षित करेंगे और ऊपर पैरा 2.1 के अनुसार जब भी परिवर्तन किये जाएँगे तब अविलंब उसे अद्यतन रखेंगे।
- 2.2 गृह मंत्रालय के विदेशी प्रभाग में धारा 12क के लिए नोडल अधिकारी अद्यतन की गई नामोदिष्ट सूची अविलंब आप्रवासन (इमिग्रेशन) प्राधिकारियों और सुरक्षा एजेंसियों को अग्रेषित करेगा।

3. बैंक खातों, शेयरों अथवा बीमा पालिसियों, आदि के रूप में धारित निधियों, वित्तीय आस्तियों अथवा आर्थिक संसाधनों अथवा संबंधित सेवाओं के संबंध में

3.1 सभी वित्तीय संस्थाएँ –

- i. सत्यापन करेंगी यदि वित्तीय लेनदेनों के पक्षकार संस्थाओं/व्यक्तियों का विवरण नामोदिष्ट सूची के विवरणों के साथ मेल खाता है, तथा मेल खाने की स्थिति में आरई ऐसा लेनदेन नहीं करेंगी तथा संबद्ध निधियों, वित्तीय आस्तियों अथवा आर्थिक संसाधनों के पूरे ब्योरे के साथ लेनदेन का विवरण तत्काल सीएनओ को ई-मेल, फैक्स और डाक द्वारा अविलंब सूचित करेंगी।
- ii. यह सत्यापन करने के लिए कि क्या नामोदिष्ट सूची में दर्ज व्यक्ति और संस्थाएँ बैंक खातों, शेयरों, बीमा पालिसियों आदि के रूप में कोई निधियाँ, वित्तीय आस्तियाँ अथवा आर्थिक संसाधन या संबंधित सेवाएँ धारित कर रही हैं, एक आवधिक आधार पर किसी ग्राहक के साथ संबंध को प्रमाणित करते समय, निर्धारित मानदंडों पर जाँच संचालित करेंगी। यदि उनके किन्हीं ग्राहकों का ब्योरा नामोदिष्ट सूची में दर्ज विवरण से मेल खाता है, तो आरई अपनी बहियों में बैंक खातों, शेयरों अथवा बीमा पालिसियों आदि के रूप में धारित निधियों, वित्तीय आस्तियों अथवा आर्थिक संसाधनों अथवा संबंधित सेवाओं का पूरा विवरण अविलंब ई-मेल, फैक्स और डाक के द्वारा सीएनओ को सूचित करेंगी।
- iii. आरई भी ऊपर 3.1(i) और (ii) में उल्लिखित सूचना की एक प्रति राज्य नोडल अधिकारी को, जहाँ खाता/लेनदेन धारित है, तथा उनके विनियमनकर्ता को, जैसी स्थिति हो, अविलंब प्रेषित करेंगी।
- iv. यदि यह विश्वास करने के लिए संदेह से परे कारण हैं कि ग्राहक के द्वारा धारित निधियाँ अथवा आस्ति धारा 12क की उप-धारा (2) के खंड (क) अथवा (ख) के दायरे में आती हैं, तो आरई ऐसे व्यक्ति/संस्था को वित्तीय लेनदेन करने से रोकेंगी तथा इसकी सूचना सीएनओ को अविलंब ई-मेल, फैक्स और डाक के द्वारा देंगी।
- v. आरई संपत्ति किये गये अथवा प्रयास किये गये, ऊपर पैराग्राफ 3.1 (i) और (ii) के अंतर्गत समाविष्ट किये गये खातों में सभी लेनदेनों को सम्मिलित करते हुए एफआईयू-इंड के पास एक संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट दाखिल करेंगी।

- 3.2 ऊपर पैराग्राफ 3.1 में उल्लिखित रूप में विवरण प्राप्त होने पर, सीएनओ राज्य पुलिस और/या केन्द्रीय एजेंसियों के द्वारा सत्यापन संचालित करवाएगा जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि आरई द्वारा अभिनिर्धारित व्यक्ति/संस्थाएँ नामोदिष्ट सूची में दर्ज व्यक्ति/संस्थाएँ ही हैं तथा आरई द्वारा सूचित की गई निधियाँ, वित्तीय आस्तियाँ अथवा आर्थिक संसाधन या संबंधित सेवाएँ नामोदिष्ट व्यक्तियों/ संस्थाओं के संबंध में हैं। यह सत्यापन ऐसा विवरण प्राप्त होने की तरीख से शीघ्रतापूर्वक पूरा किया जाएगा।**

- 3.3 यदि सत्यापन के परिणाम यह निर्दिष्ट करते हैं कि आस्तियाँ नामोदिष्ट व्यक्तियों / संस्थाओं के लाभ के लिए स्वाधिकृत हैं अथवा धारित हैं, तो धारा 12क के अंतर्गत इन आस्तियों पर रोक लगाने के लिए सीएनओ द्वारा एक आदेश अविलंब जारी किया जाएगा तथा इसकी सूचना इलेक्ट्रॉनिक तौर पर संबंधित आरई को दी जाएगी और यह संबंधित विनियमनकर्ताओं को सूचित किया जाएगा। सीएनओ इसकी एक प्रति सभी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के गृह विभाग के प्रधान सचिवों / सचिवों को तथा देश में सभी नोडल अधिकारियों को भी अग्रेषित करेगा ताकि**

किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था को नामोद्दिष्ट व्यक्तियों/संस्थाओं के लाभ के लिए किन्हीं निधियों, वित्तीय आस्तियों अथवा आर्थिक संसाधनों या संबंधित सेवाओं को उपलब्ध कराने से निषिद्ध किया जा सके। सीएनओ उपयुक्त कार्रवाई प्रारंभ करने के लिए सभी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के पुलिस महानिदेशकों/ आयुक्तों को भी उक्त आदेश की प्रति अग्रेषित करेगा।

3.4 उक्त आदेश नामोद्दिष्ट व्यक्ति / संस्था को कोई पूर्व सूचना दिये बिना जारी किया जाएगा।

4. उपर्युक्त आदेशों के विषय में प्रदान की जानेवाली छूट के संबंध में

4.1 उपर्युक्त उपबंध उन निधियों और अन्य वित्तीय आस्तियों अथवा आर्थिक संसाधनों पर लागू नहीं होंगे जो निम्नलिखित रूप में सीएनओ द्वारा निर्धारित किये गये हैं :-

(क) आधारभूत व्ययों के लिए आवश्यक, जिनमें शामिल हैं, खाद्य पदार्थों, किराये अथवा बंधक, दवाइयों और डाक्टरी इलाज, करों, बीमा प्रीमियमों और जनोपयोगी सेवाओं के प्रभार, अथवा अवरोधित निधियों अथवा अन्य वित्तीय आस्तियों अथवा आर्थिक संसाधनों को नेमी तौर पर धारित करने अथवा उनका अनुरक्षण करने के लिए ऐसी निधियों, आस्तियों अथवा संसाधनों तक पहुँच के लिए प्राधिकृत करते हुए विदेश मंत्रालय द्वारा अधिसूचना के परिणामस्वरूप एकमात्र उचित व्यावसायिक शुल्क के भुगतान के लिए और कानूनी सेवाओं की व्यवस्था के साथ संबद्ध रूप में किये गये व्ययों की प्रतिपूर्ति।

(ख) असाधारण व्ययों के लिए आवश्यक, बशर्ते कि ऐसा निर्धारण विदेश मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया हो;

4.2 नामोद्दिष्ट व्यक्तियों / संस्थाओं के खातों में निम्नलिखित के जमा किये जाने की अनुमति दी जाए:

(क) उन खातों पर प्राप्य ब्याज अथवा अन्य उपार्जन, अथवा

(ख) उन संविदाओं, करारों अथवा दायित्वों के अंतर्गत प्राप्य भुगतान जो उन खातों के अधिनियम की धारा 12क के उपबंधों के अधीन हो जाने की तारीख से पहले उत्पन्न हुए हैं।

बशर्ते कि ऐसे किसी ब्याज, अन्य उपार्जनों और भुगतानों का पैरा 3.3 के अंतर्गत उन उपबंधों के अधीन होना जारी रहे;

5. सत्यापन के बाद कि उक्त व्यक्ति अथवा संस्था नामन के लिए मानदंडों को पूरा नहीं करता/करती, अवरोधन की व्यवस्था के द्वारा असावधानी से प्रभावित व्यक्तियों/ संस्थाओं की निधियों, वित्तीय आस्तियों अथवा आर्थिक संसाधनों या संबंधित सेवाओं को नियंत्रण से मुक्त करने की प्रक्रिया के संबंध में

5.1 कोई भी व्यक्ति/संस्था, यदि यह सिद्ध करने के लिए साक्ष्य उपलब्ध है कि स्वाधिकृत/धारित निधियों, वित्तीय आस्तियों अथवा आर्थिक संसाधनों अथवा संबंधित सेवाओं का अवरोधन असावधानीवश किया गया है, तो आवश्यक साक्ष्य देते हुए एक आवेदन लिखित में संबंधित आरई/अचल आस्तियों के पंजीयक/आरओसी/ विनियमनकर्ताओं और राज्य को प्रस्तुत किया जा सकता है।

5.2 आरई/अचल संपत्तियों का पंजीयक/आरओसी/विनियमनकर्ता और राज्य नोडल अधिकारी आवेदक द्वारा दिये गये रूप में उक्त आवेदन की सूचना सीएनओ को देंगे तथा उसकी प्रति अवरुद्ध आस्ति का पूरा विवरण देते हुए सीएनओ को दो कार्यदिवसों के अंदर ई-मेल, फैक्स और डाक के द्वारा अग्रेषित करेंगे। साथ ही, सूचीबद्ध व्यक्ति और संस्थाएँ यूएनएससी संकल्प

के अंतर्गत स्थापित फोकल बिन्दु व्यवस्था के पास सूची में से हटाने के लिए एक अनुरोध याचिका प्रस्तुत कर सकते हैं/सकती हैं।

- 5.3 सीएनओ ऐसा सत्यापन करवाएगा, जैसा कि व्यक्ति/संस्था के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर आवश्यक हो, तथा यदि संतुष्ट हो जाता है तो वह अविलंब ऐसे आवेदक के द्वारा स्वाधिकृत/धारित निधियों, वित्तीय आस्तियों अथवा आर्थिक संसाधनों अथवा संबंधित सेवाओं का अवरोधन हटाते हुए एक आदेश पारित करेगा तथा इसकी सूचना सभी आई/अचल संपत्तियों के पंजीयक/आरओसी/विनियमनकर्ताओं तथा राज्य नोडल अधिकारी को देगा। तथापि, यदि आस्तियों को नियंत्रण से बाहर करना 5 कार्यदिवसों के अंदर किसी कारण से संभव नहीं है, तो आवेदक को यह शीघ्रतापूर्वक सूचित करेगा।
- 5.4 सीएनओ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संकल्पों के अंतर्गत व्यक्ति और संस्था को सूची से बाहर करने (डी-लिस्टिंग) के आधार पर यदि किसी अन्य आदेश में नामोद्दिष्ट करने की आवश्यकता न हो, तो ऐसे आवेदक के द्वारा स्वाधिकृत / धारित उक्त निधियों, वित्तीय आस्तियों अथवा आर्थिक संसाधनों अथवा संबंधित सेवाओं को अवरोधन से मुक्त करते हुए एक आदेश पारित करेगा तथा इसकी सूचना सभी आई / अचल संपत्तियों के पंजीयक /आरओसी / विनियमनकर्ताओं और राज्य के नोडल अधिकारी को देगा।
6. **धारा 12क के अंतर्गत की गई कार्रवाई के अनुपालन की सूचना के लिए प्रक्रिया:** सीएनओ और विदेशी प्रभाग, गृह मंत्रालय में नोडल अधिकारी क्रमशः एक आदेश के द्वारा नामोद्दिष्ट व्यक्तियों/संस्थाओं की अवरुद्ध की गई निधियों, वित्तीय आस्तियों अथवा आर्थिक संसाधनों अथवा संबंधित सेवाओं का विवरण, तथा उन व्यक्तियों का विवरण जिनका भारत में प्रवेश अथवा भारत से होते हुए पारगमन निवारित किया गया हो, आगे संयुक्त राष्ट्र को सूचित करने के लिए विदेश मंत्रालय को प्रस्तुत करेगा।
7. **धारा 12क के अंतर्गत जारी किये गये आदेश की सूचना:** निधियों, वित्तीय आस्तियों अथवा आर्थिक संसाधनों अथवा संबंधित सेवाओं के संबंध में सीएनओ द्वारा अधिनियम की धारा 12क के अधीन जारी किया गया आदेश देश में सभी नोडल अधिकारियों को सूचित किया जाएगा।
8. संबंधित सभी से अनुरोध है कि इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।

Extracts of Order on Procedure for implementation of Section 12 A of WMD Act, 2005

Section 12A of The Weapons of Mass Destruction and their Delivery Systems (Prohibition of Unlawful Activities) Act, 2005 [hereinafter referred to as “the Act”] reads as under :-

"12A. (1) No person shall finance any activity which is prohibited under this Act, or under the United Nations (Security Council) Act, 1947 or any other relevant Act for the time being in force, or by an order issued under any such Act, in relation to weapons of mass destruction and their delivery systems.

(2)For prevention of financing by any person of any activity which is prohibited under this Act, or under the United Nations (Security Council) Act, 1947 or any other relevant Act for the time being in force, or by an order issued under any such Act, in relation to weapons of mass destruction and their delivery systems, the Central Government shall have power to

a) freeze, seize or attach funds or other financial assets or economic resources -
i. owned or controlled, wholly or jointly, directly or indirectly, by such person; or
ii. held by or on behalf of or at the direction of, such person; or
iii. derived or generated from the funds or other assets owned or controlled, directly or indirectly, by such person;

b) prohibit any person from making funds, financial assets or economic resources or related services available for the benefit of persons related to any activity which is prohibited under this Act, or under the United Nations (Security Council) Act, 1947 or any other relevant Act for the time being in force, or by an order issued under any such Act, in relation to weapons of mass destruction and their delivery systems.

(3) The Central Government may exercise its powers under this section through any authority who has been assigned the power under sub-section (1) of section 7."

In order to ensure expeditious and effective implementation of the provisions of Section 12A of the Act, the procedure is outlined below

1. Appointment and communication details of Section 12A Nodal Officers:

1.1 In exercise of the powers conferred under Section 7(1) of the Act, the Central Government assigns Director, FIU-India, Department of Revenue, Ministry of Finance, as the authority to exercise powers under Section 12A of the Act. The Director, FIU-India shall be hereby referred to as the Central Nodal Officer (CNO) for the purpose of this order. {Telephone Number: 011- 23314458, 011- 23314435, 011-23314459 (FAX), email address: dir@fiuindia.gov.in].

1.2 Regulator under this order shall have the same meaning as defined in Rule 2(fa) of Prevention of Money-Laundering (Maintenance of Records) Rules, 2005. Reporting Entity (RE) shall have the same meaning as defined in Section 2 (1) (wa) of Prevention of Money-Laundering Act, 2002. DNFPBs is as defined in section 2(1) (sa) of Prevention of Money-Laundering Act, 2002.

1.3 The Regulators and Foreigners Division of MHA shall notify a Nodal Officer for implementation of provisions of Section 12A of the Act. The Regulator may notify the Nodal Officer appointed for implementation of provisions of Section 51A of UAPA, also, as the Nodal Officer for implementation of Section 12A of the Act. All the States and UTs shall notify a State Nodal officer for implementation of Section 12A of the Act. A State/UT may notify the State Nodal Officer appointed for implementation of provisions of Section 51A of UAPA, also, as the Nodal Officer for implementation of Section 12A of the Act.

1.4 The CNO shall maintain an updated list of all Nodal Officers, and share the updated list with all Nodal Officers periodically. The CNO shall forward the updated list of all Nodal Officers to all REs.

2. Communication of the lists of designated individuals/entities:

2.1 The Ministry of External Affairs will electronically communicate, without delay, the changes made in the list of designated individuals and entities (hereinafter referred to as 'designated list') as specified under section 12A (1) to the CNO and Nodal officers.

2.1.1 Further, the CNO shall maintain the Designated list on the portal of FIU- India. The list would be updated by the CNO, as and when it is updated, as per para 2.1 above, without delay. It shall make available for all Nodal officers, the State Nodal Officers, and to the Registrars performing the work of registration of immovable properties, either directly or through State Nodal Officers, without delay.

2.1.2 The Ministry of External Affairs may also share other information relating to prohibition/prevention of financing of prohibited activity under Section 12A (after its initial assessment of the relevant factors in the case) with the CNO and other organizations concerned, for initiating verification and suitable action.

2.1.3 The Regulators shall make available the updated designated list, without delay, to their REs. The REs will maintain the designated list and update it, without delay, whenever changes are made as per para 2.1 above.

2.2 The Nodal Officer for Section 12A in Foreigners Division of MHA shall forward the updated designated list to the immigration authorities and security agencies, without delay.

3. Regarding funds, financial assets or economic resources or related services held in the form of bank accounts, stocks or insurance policies, etc.

3.1 All Financial Institutions shall —

- i. Verify if the particulars of the entities/individual, party to the financial transactions, match with the particulars of designated list and in case of match, REs shall not carry out such transaction and shall immediately inform the transaction details with full particulars of the funds, financial assets or economic resources involved to the CNO by email, FAX and by post, without delay.
- ii. Run a check, on the given parameters, at the time of establishing a relation with a customer and on a periodic basis to verify whether individuals and entities in the designated list are holding any funds, financial assets or economic resources or related services, in the form of bank accounts, stocks, Insurance policies etc. In case, the particulars of any of their customers match with the particulars of designated list, REs shall immediately inform full particulars of the funds, financial assets or economic resources or related services held in the form of bank accounts, stocks or insurance policies etc., held on their books /o the CNO by email, FAX and by post, without delay.
- iii. The REs shall also send a copy of the communication, mentioned in 3.1 (i) and (ii) above, to State Nodal Officer, where the account/transaction is held, and to their Regulator, as the case may be, without delay.
- iv. In case there are reasons to believe beyond doubt that funds or asset held by a customer would fall under the purview of clause (a) or (b) of sub-section (2) of Section 12A, REs shall prevent such individual/entity from conducting financial transactions, under intimation to the CNO by email, FAX and by post, without delay.
- v. The REs shall file a Suspicious Transaction Report (STR) with FIU- IND covering all transactions in the accounts, covered under Paragraph 3.1 (i) and (ii) above, carried through or attempted.

3.2 On receipt of the particulars, as referred to in Paragraph 3.1 above, the CNO would cause a verification to be conducted by the State Police and/or the Central Agencies so as to ensure that the individuals/entities identified by the REs are the ones in designated list and the funds, financial assets or economic resources or related services, reported by REs are in respect of the designated individuals/entities. This verification would be completed expeditiously from the date of receipt of such particulars.

3.3 In case, the results of the verification indicate that the assets are owned by, or are held for the benefit of, the designated individuals/entities, an order to freeze these assets under Section 12A would be issued by the CNO without delay and be conveyed electronically to the concerned RE under intimation to respective Regulators. The CNO shall also forward a copy thereof to all the Principal Secretaries/Secretaries,

Home Department of the States/UTs and All Nodal officers in the country, so that any individual or entity may be prohibited from making any funds, financial assets or economic resources or related services available for the benefit of the designated individuals / entities. The CNO shall also forward a copy of the order to all Directors General of Police/ Commissioners of Police of all States/UTs for initiating suitable action.

3.4 The order shall be issued without prior notice to the designated individual/entity.

4. Regarding exemption, to be granted to the above orders

4.1 The above provisions shall not apply to funds and other financial assets or economic resources that have been determined by the CNO to be: -

(a) necessary for basic expenses, including payments for foodstuff, rent or mortgage, medicines and medical treatment, taxes, insurance premiums and public utility charges, or exclusively for payment of reasonable professional fees and reimbursement of incurred expenses associated with the provision of legal services or fees or service charges for routine holding or maintenance of frozen funds or other financial assets or economic resources, consequent to notification by the MEA authorizing access to such funds, assets or resources.

(b) necessary for extraordinary expenses, provided that such determination has been notified by the MEA;

4.2 The accounts of the designated individuals/ entities may be allowed to be credited with:

(a) interest or other earnings due on those accounts, or

(b) payments due under contracts, agreements or obligations that arose prior to the date on which those accounts became subject to the provisions of section 12A of the Act.

Provided that any such interest, other earnings and payments continue to be subject to those provisions under para 3.3;

5. Regarding procedure for unfreezing of funds, financial assets or economic resources or related services of individuals/entities inadvertently affected by the freezing mechanism upon verification that the individual or entity is not a designated person or no longer meet the criteria for designation:

5.1 Any individual/entity, if it has evidence to prove that the freezing of funds, financial assets or economic resources or related services, owned/held has been inadvertently frozen, an application may be moved giving the requisite evidence, in writing, to the relevant RE/Registrar of Immovable Properties/ ROC/Regulators and the State.

5.2 The RE/Registrar of Immovable Properties/ROC/Regulator and the State Nodal Officer shall inform, and forward a copy of the application, together with full details of the asset frozen, as given by applicant to the CNO by email, FAX and by Post, within two working days. Also, listed persons and entities may petition a request for delisting at the Focal Point Mechanism established under UNSC Resolution.

5.3 The CNO shall cause such verification, as may be required on the basis of the evidence furnished by the individual/entity, and, if satisfied, it shall pass an order, without delay, unfreezing the funds, financial assets or economic resources or related services, owned/held by such applicant, under intimation to all RE/Registrar of immovable Properties/ROC/Regulators and the State Nodal Officer. However, if it is not possible, for any reason, to pass an Order unfreezing the assets within 5 working days, the CNO shall inform the applicant expeditiously.

5.4 The CNO shall, based on de-listing of individual and entity under UN Security Council Resolutions, shall pass an order, if not required to be designated in any other order, without delay, unfreezing the funds, financial assets or economic resources or related services, owned/held by such applicant, under intimation to all RE/Registrar of Immovable Properties/ROC/Regulators and the State Nodal Officer.

6. Procedure for communication of compliance of action taken under Section 12A: The CNO and the Nodal Officer in the Foreigners Division, MHA shall furnish the details of funds, financial assets or economic resources or related services of designated individuals/entities, frozen by an order, and details of the individuals whose entry into India or transit through India was prevented, respectively, to the Ministry of External Affairs, for onward communication to the United Nations.

7. Communication of the Order issued under Section 12A: The Order issued under Section 12A of the Act by the CNO relating to funds, financial assets or economic resources or related services, shall be communicated to all nodal officers in the country.

8. All concerned are requested to ensure strict compliance of this order.